रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33002/92
REGISTERED NO. D.L.—33002/92

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN.

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1992/कार्तिक 28, 1914 [पी. आर. डी. सं. 239
No. 32] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1992/KARTIKA 28, 1914 [P. R. D. No. 239

भाग IV
PART IV

भाग—I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Delhi Administration other than notifications included in Part-I

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION : DELHI

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन

(चिकित्सा व जन स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 6 नवम्बर, 1992

संख्या फा. 05/7/92-चि.व जन स्वा. (1):—स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-72/57-डी. के साथ पठित औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले सर्व श्री अनिल कुमार नेगी तथा कमल राजन चावला को सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं :—

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(Department of Medical & Public Health)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 6th November, 1992

No. F. 5/7/92-M&PH-(i).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, read with the Government of India, Ministry of Health's Notification No. 12-72/57-D dated the 12th October, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints S/Shri Anil Kumar Negi and Kamal Rajan Chawla, having the prescribed qualifications, as Inspectors for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

सं. फा. 5/7/92-चि. व जन स्वा. (2).—स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 12 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-72/57 डी के साथ पठित औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल सर्वश्री अनिल कुमार नेगी तथा कमल रंजन चावला औषधि निरीक्षकों दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के अंदर उक्त धारा के अधीन सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

पी. सी. शर्मा, अवर सचिव (चिकित्सा)

No. F. 5|7|92-M&PH (ii).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 read with the Government of India, Ministry of Health, Notification No. 12-72|57-D dated the 12th October, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorise S|Shri Anil Kumar Negi and Kamal Rajan Chawla, Drugs Inspectors to do all acts under the said section within the National Capital Terriory of Delhi.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

P. C. SHARMA, Under Secy. (Medical)

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 नवम्बर, 1992

सं. एफ. 11(10)/रा. स्था./81(1)/7197-98.—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 7 एवं दिल्ली सहकारी अधिनियम, 1972 जो कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है, दिल्ली के उप-राज्यपाल निम्नलिखित सहकारी विभाग के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कथित क्षेत्र में "सहायक कलैक्टर" द्वितीय श्रेणी, दिल्ली सहकारी विभाग से सम्बन्धित ऋण वसूली के लिए नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस.सी.एस. बिष्ट निरीक्षक तृतीय श्रेणी
2. श्री बिशम्भर सिंह निरीक्षक द्वितीय श्रेणी

सं. एफ. 11(10)/रा.स्था./81(2)/7197-98.—पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1) (बी) एवं दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 जो कि राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में लागू है दिल्ली के उप-राज्यपाल निम्नलिखित सहकारी विभाग के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में, "सहायक कलैक्टर", द्वितीय श्रेणी के दिल्ली सहकारी विभाग से सम्बन्धित ऋण वसूल करने के लिए समस्त अधिकार प्रदान करते हैं :—

1. श्री एस.सी.एस. बिष्ट निरीक्षक तृतीय श्रेणी
2. श्री बिशम्भर सिंह निरीक्षक द्वितीय श्रेणी

सं. एफ 11(10)/रा.स्था./81(3)/7197-98.—उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 (1) एवं दिल्ली सहकारी अधिनियम, 1972 जो कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में लागू है दिल्ली के उपराज्यपाल सहकारी विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों, को उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में "सहायक कलैक्टर", द्वितीय श्रेणी के दिल्ली सहकारी विभाग से सम्बन्धित ऋण वसूल करने के लिए समस्त अधिकार प्रदान करते हैं :—

1. श्री एस.सी.एस. बिष्ट निरीक्षक तृतीय श्रेणी
2. श्री बिशम्भर सिंह निरीक्षक द्वितीय श्रेणी

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम से

के. एस. मेहरा, सचिव (राजस्व)

(Revenue Department)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th November, 1992

No. F. 11(10)|Rev. Estt.81-(i)7197-98.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor, National Capital Terri'ory of Delhi is pleased to appoint each of the following officials of the Co-Operative Societies Deptt. as 'Assistant Collector', Grade-II under the said Act for the purpose of recovery of such amount as are recoverable as arrears of Land Revenue under the Delhi Co-Op. Societies Act, 1972 as enforce in the National Capital Territory of Delhi :—

1. Shri S.C.S. Bisht, Inspector, Grade-III.
2. Shri Bishamber Singh, Inspector, Grade-II.

No. F. 11(10)|Rev. Estt.|81 (ii)|7197-98.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforce in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon

the following officials of the Co-Op. Societies Deptt. the powers of an 'Assistant Collector', Grade-II under the said Act for the purpose of recovery of such amount as are recoverable as arrears of Land Revenue under the Delhi Co-Op. Societies Act, 1972 as enforce in the National Capital Territory of Delhi :—

1. Shri S.C.S. Bisht, Inspector, Grade-III.

2. Shri Bishamber Singh, Inspector, Grade-II.

No. F. 11(10)|Rev. Estt.|81-(iii)|7197-98.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 of U.P. Land|Revenue Act, 1901 as enforce in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to empower the following officials of the Co-Op. Societies Deptt. as 'Assistant Collector', Grade-II under the said Act for the purpose of recovery of such amounts as are recoverable as arrears of land revenue under the Delhi Co-Op. Societies Act, 1972 as enforce in the National Capital Territory of Delhi :—

1. Shri S.C.S. Bisht, Inspector, Grade-II.

2. Shri Bishamber Singh, Inspector, Grade-II.

By orders and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

K. S. MEHRA, Secy. (Revenue)

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 नवम्बर, 1992

संख्या फा. 4/12/92-गृह (सा.) (i)/5361:—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू. 11011/2/74-यू.टी.एल० (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल निम्नलिखित दानिक्स अधिकारियों को उपायुक्त कार्यालय, दिल्ली में किसी पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी इनमें पहले हो, दिल्ली महानगर क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री आर.सी. मीणा

2. श्री वीरेन्द्र कुमार

संख्या फा. 4/12/92-गृह (सामान्य) (ii)/5361:—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल निम्नलिखित कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के सामने उल्लिखित क्षेत्र सब डिवीजन के प्रभारी लगाते हैं तथा उन्हें उपक्षेत्रीय मजिस्ट्रेट कहा जाएगा :

1. श्री आर.सी. मीणा — एस.डी.एम. (कोतवाली)

2. श्री बीरेन्द्र कुमार — एस.डी.एम. (पंजाबी बाग)

वे अपने नाम के सामने उल्लिखित सब डिवीजन के प्रभारी बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी इनमें पहले हो, उपक्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th November, 1992

No. F. 4|12|92-Home (G)(i)|5361:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011|2|74-UTL(i), dated 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint following DANICS Officers to be Executive Magistrates in the Metropolitan area of Delhi till such time they hold any post in the office of the Deputy Commissioner, Delhi or till further orders, whichever is earlier :—

1. Shri R. C. Meena

2. Shri Virender Kumar

No. F. 4|12|92-Home (G) (ii)|5361:—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011|2|74-UTL(i), dated 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to place the following Executive Magistrates in-charge of Sub-division of the areas mentioned below against each and they will be called Sub-Divisional Magistrates :—

1. Shri R. C. Meena—SDM (Kotwali).

2. Shri Birender Kumar—SDM (Punjabi Bagh)

They will exercise the powers of Sub-Divisional Magistrate till such time they hold the charge of the sub divisions mentioned above against each or till further orders whichever is earlier.

संख्या फा. 4/12/92-गृह (सामान्य) (i)/5368.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल श्री के.एस. मेहरा को उपायुक्त कार्यालय दिल्ली के कार्यालय में उक्त पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी इनमें पहले हो, दिल्ली महानगर क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं।

संख्या फा. 4/12/92-गृह (सामान्य) (ii)/5368:—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च 1974 की अधिसूचना संख्या यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल श्री के.एस. मेहरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उक्त पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो इनमें पहले हो, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली के रूप में नियुक्त करते हैं।

संख्या फा. 4/12/92-गृह (सामान्य) (iii)/5368:—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त उ.प्र. भू राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल श्री के.एस. मेहरा को दिल्ली जिला का समाहर्ता नियुक्त करते हैं तथा निदेश देते हैं कि वह अगले आदेशों तक दिल्ली विधि अधिनियम, 1915 के अधीन, उसकी संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिल्ली राज्य से सम्बद्ध राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा कलक्टर को सौंपे गए समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

No. F. 4|12|92-Home (G) (i)|5368:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U. 11011|2|74-UTL (i), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri K. S. Mehra to be an Executive Magistrate in the Metropolitan area of Delhi till he holds the said post in the office of the Deputy Commissioner, Delhi or till further orders whichever is earlier.

No. F. 4|12|92-Home (G) (ii)|5368 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) the section 20 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U. 11011|2|74-UTL (i), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further pleased to appoint Shri K. S. Mehra, an Executive Magistrate to be the District Magistrate, Delhi, till such time he holds the said post or till further orders, whichever is earlier.

No. F. 4|12|92-Home (G) (iii)|5368:—In exercise of the powers conferred by section 14 of the U.P. Land Revenue Act, 1901, as enforce in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further pleased to appoint Shri K. S. Mehra, IAS, to be the Collector of Delhi District and direct that he will exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed on a Collector by the said Act, in respect of the territory added to the Delhi State under the Delhi Laws Act, 1915, as specified in the Schedule-I thereto annexed, till further orders.

संख्या फा. 4/12/92-गृह (सामान्य)/5375 :—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल श्रीमती नन्दिता सहगल कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, उनके वर्तमान पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी इनमें पहले हो, अतिरिक्त जिलाधीश, दिल्ली के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

दि.स. पण्डित, उप सचिव: गृह (सामान्य)

No. F. 4|12|92-Home (G)|5375:—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Act No. 2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011|2|74-UTL (i), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Nandita Sehgal, an Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, Delhi till such time she holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the name of
the Lt. Governor of the National Capital Territory of
Delhi,

D. S. PANDIT, Dy. Secy. : Home (General)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993